I/70913/2022

ई पत्रावली संख्या–39572/(114)/2022

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।
2..समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3.निदेशक, लेखा परीक्षा,
उत्तराखण्ड।

वित्त आडिट प्रकोष्ठ देहरादूनः दिनांक अक्टूबर, 2022

विषयः उत्तराखण्ड ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली (UOAMS) अन्तर्गत ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या ऑनलाईन मोड से उपलब्ध कराये जाने हेतु UOAMS Compliance Module कियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ के पत्र संख्या–14/ xxvii(114)/2019, दिनांक 24 अप्रैल, 2019 द्वारा राज्य में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य हेतु ''उत्तराखण्ड ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली'' लागू की गयी थी। वर्तमान में उक्त पोर्टल के माध्यम से विभागों का ऑडिट सम्बन्धी कार्य ऑनलाईन मोड से सम्पादित किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरांत अग्रेत्तर ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या मैनुअल रूप से उपलब्ध कराये जाने के स्थान पर इसे भी ऑनलाईन माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है, ताकि लेखा परीक्षा के सम्पूर्ण चक की कार्य व्यवस्था (लेखा परीक्षा नियोजन से लेकर लेखा परीक्षा आपत्ति निस्तारीकरण तक) ऑनलाईन माध्यम से सम्पादित की जा सके।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्यालय ज्ञाप संख्या–159/ xxvii(26)/2016, दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 अनुरूप प्रशासकीय विभागों/विभागाध्यक्ष स्तर पर विभागीय लेखा परीक्षा समिति/विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति का गठन करते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के सापेक्ष अनुपालन आख्या ''उत्तराखण्ड ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली'' के Compliance Module के माध्यम से ही संलग्न गाईडलाईन अनुरूप उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक– यथोक्त</u>

भवदीय

(आनन्द बर्द्धन)
अपर मुख्य सचिव

Generated from eOffice by GANESH CHANDRA BALONI, SO-GCB-FAC, SECTION OFFICER, Finance Department on 02/12/2022 05:28 PM

I/70913/2022

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून
3. सचिव श्री राज्यपाल
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून
6. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड, देहरादून
7. निदेशक, पं0 दीनदयाल उपाध्याय सेंटर फॉर ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन फाईनेन्सियल एडमिनिस्ट्रेशन, देहरादून
8. समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड
9. गार्ड फाईल

(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव, वित्त

Generated from eOffice by GANESH CHANDRA BALONI, SO-GCB-FAC, SECTION OFFICER, Finance Department on 02/12/2022 05:28 PM

I/70913/2022

उत्तराखण्ड ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली (UOAMS) अन्तर्गत ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या ऑनलाईन मोड से उपलब्ध कराये जाने हेतु यू0ओ0एम0एस0 Compliance Module क्रियान्वित किये जाने के लिए निर्धारित गाईडलाईन/एस0ओ0पी0

उत्तराखण्ड ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली (UOAMS) के अन्तर्गत Compliance Module क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार चरण/व्यवस्था निर्धारित की जाती है–

1. **आडिट संस्था के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही–**

- उत्तराखण्ड ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली अंतर्गत ऑडिट संस्था को अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन निर्गत किए जाने के उपरांत, ऑडिट आपत्तियां पर दिये गये उत्तर एवं अनुपालन आख्या को भेजने एवं निस्तारण के सम्बन्ध में Compliance Module विकसित किया गया है।
- Compliance Module में लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रस्तरवार उत्तरों एवं प्रमाणित अभिलेखों को ऑनलाईन माध्यम से अपलोड किये जाने की व्यवस्था है।
- ऑडिट संस्था द्वारा इस हेतु पोर्टल www.eaudit.uk.gov.in पर login किया जाएगा एवं ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराए जाने हेतु Compliance Module पर क्लिक किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित sub- module प्रदर्शित होंगे–

- प्रोजेक्ट आई0 डी0 एवं पैरा नंबर (Project ID and Para no)
- व्यू पैरा – ऑडिट रिपोर्ट को प्रदर्शित करेगा; (View Para)
- पैरा के लिए उत्तर या उत्तर में संशोधन ; (Audit Para Compliance answer or edit the compliance)
- अभिलेख को अपलोड किया जाना; (Upload Documents in support of Compliance)
- सदस्य सचिव को परिपालन आख्या अग्रसारित ; (Compliance Report forwarded to Member Secretary)
- सदस्य सचिव द्वारा संस्तुति/प्रतिउत्तर; (Recommendation/Response of Member Secretary)
- ऑडिट आपत्ति की वर्तमान प्रास्थिति; (Present status of Audit Para)

- ऑडिट संस्था द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 कार्य दिवसों के अंतर्गत अनुपालन आख्या तैयार कर उत्तराखण्ड ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से विभागाध्यक्ष के स्तर पर गठित 'विभागीय उप लेखा परीक्षा समिति' के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी।
- आडिट संस्था द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि Compliance Module में ऑडिट साक्ष्यों को अपलोड किया जाए।
- ऑडिट संस्था द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समस्त प्रस्तरों के उत्तर ऑनलाइन माध्यम से एक साथ प्रस्तुत किया जाना उचित होगा।
- किसी ऑडिट प्रस्तर के सापेक्ष शत्–प्रतिशत अनुपालन न होने अथवा तत्समय अभिलेख पूर्ण न होने की स्थिति में सम्बन्धित ऑडिट प्रस्तर को छोड़कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अन्य प्रस्तरों की अनुपालन आख्या 30 कार्य दिवसों में Compliance Module के माध्यम से विभागाध्यक्ष स्तर पर नामित सदस्य सचिव को अग्रसारित की जाएगी।

Generated from eOffice by GANESH CHANDRA BALONI, SO-GCB-FAC, SECTION OFFICER, Finance Department on 02/12/2022 05:28 PM

I/70913/2022

2. <u>**विलम्ब होने की प्रास्थिति में Escalation का स्तर एवं समयावधि–**</u> इसके उपरांत विलंब होने की स्थिति में प्रत्येक सप्ताह सम्बन्धित ऑडिट संस्थान के कार्यालयाध्यक्ष को रजिस्टर्ड ई– मेल आई0 डी0 से सिस्टम जनरेटेड नोटिफिकेशन भेजा जाएगा।

- इसके उपरांत भी सम्बन्धित रिपोर्ट पर आडिट संस्था द्वारा आपत्तियों के निराकरण हेतु निर्धारित समयावधि में अनुपालन आख्या प्रेषित न किये जाने की स्थिति में निम्नवत् समयावधि के अंतराल में विभागाध्यक्ष एवं प्रशासकीय विभाग को स्थिति सिस्टम द्वारा escalate की जायेगी–

क0 सं0	Escalation का स्तर	समयावधि
1.	विभागाध्यक्ष	ऑडिट संस्था को अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली से प्राप्त होने के दिनांक से 02 माह उपरांत सम्बन्धित विभागाध्यक्ष की पोर्टल आई0डी0 पर ऑनलाईन माध्यम से नोटिफिकेशन
2.	प्रशासकीय विभाग	ऑडिट संस्था को अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली से प्राप्त होने के दिनांक से 03 माह उपरांत सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख के पोर्टल आई0डी0 पर ऑनलाईन माध्यम से नोटिफिकेशन
3.	वित्त विभाग	ऑडिट संस्था द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के 04 माह उपरांत भी उत्तर उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में वित्त विभाग/निदेशालय लेखा परीक्षा की पोर्टल आई0डी0 पर नोटिफिकेशन दर्शित होगा।

3. <u>**विभागाध्यक्ष स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही**</u>–

क. विभागाध्यक्ष द्वारा ''विभागीय उप लेखा परीक्षा समिति'' हेतु सदस्य सचिव के रजिस्ट्रेशन किये जाने की प्रक्रिया–

- आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित प्रस्तरों की समयबद्ध अनुपालन आख्यायें प्रेषित किए जाने हेतु विभाग स्तर पर एक सदस्य सचिव नामित किये जाने का उत्तराखण्ड आंतरिक लेखा परीक्षा नियम संग्रह 2021 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–159/xxvii(26)/2016, दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 में प्रावधान है। सम्बन्धित सदस्य सचिव नामित किये जाने की प्रक्रिया ऑनलाईन सिस्टम में की गयी है।
- सदस्य सचिव, विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति में समन्वयक के रूप में कार्य सम्पादित करेंगे।
- उत्तराखण्ड ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली में कम्प्लायन्स मॉड्यूल को सक्रिय करने के लिए सर्वप्रथम विभागाध्यक्ष द्वारा स्वयं की UOAMS की आई0 डी0 से सदस्य सचिव के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।
- रजिस्ट्रेशन के उपरांत सदस्य सचिव की रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल न0 पर सिस्टम जनरेटेड मैसेज एवं ई–मेल में लिंक एवं पासवर्ड स्वचालित प्रक्रिया के अन्तर्गत आटोमेटेड (Automated) रूप में परिलक्षित होगा।
- लिंक पर क्लिक एवं पासवर्ड की प्रविष्टि किए जाने के उपरांत नामित सदस्य सचिव द्वारा इस पोर्टल पर लॉगिन किया जा सकेगा, जिसके उपरांत सदस्य सचिव द्वारा Compliance Module में अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी।
- सबंधित सदस्य सचिव के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति आदि कारणों के फलस्वरूप पद रिक्त होने पर विभागाध्यक्ष के द्वारा किसी अन्य अधिकारी को सदस्य सचिव नामित किया जाएगा।

ख. **सदस्य सचिव के Compliance Module में निम्नलिखित कॉलम प्रदर्शित होंगे**–

- प्रोजेक्ट आई डी (Project ID)

Generated from eOffice by GANESH CHANDRA BALONI, SO-GCB-FAC, SECTION OFFICER, Finance Department on 02/12/2022 05:28 PM

I/70913/2022

- ऑडिट संस्था (Auditee Office)
- पैरा नंबर एवं व्यू पैरा (Para Number and View Para)
- ऑडिट संस्था की परिपालन आख्या जिसमें संस्था द्वारा ऑडिट प्रस्तरों पर उत्तर अग्रसारित किया गया हो (Audit Para Compliance report of auditee)
- परिपालन आख्या पुष्टि के लिए अभिलेख एवं साक्ष्य (Documents and evidence in support of Compliance Report)
- ऑडिट संस्था को ऑडिट परिपालन आख्या को प्रत्यावर्तित किया जाना (Compliance Report to be returned to auditee)
- रिपोर्ट प्रत्यावर्तित किए जाने के कारण (Reasons for returning Compliance Report)
- अभिलेख को अपलोड किया जाना (Document to be uoloaded)

ग. सदस्य सचिव द्वारा मॉड्यूल में किये जाने वाले कार्य

- 'विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति' की बैठक हेतु सदस्य सचिव द्वारा Compliance Module के अंतर्गत ऑडिट कमेटी का गठन विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरांत किया जाएगा। इस हेतु सम्बन्धित सदस्यों के मोबाईल नंबर एवं ई–मेल की प्रविष्टि की जायेगी एवं सदस्यों को रजिस्टर्ड किया जाएगा।
- सदस्य सचिव द्वारा 'विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति' की बैठक के आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व सदस्यों के मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को अपडेट किया जाए ।
- उप विभागीय लेखा परीक्षा समिति के सदस्यों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति आदि कारणों से समिति के सदस्यों में परिवर्तन होने पर सदस्य सचिव द्वारा लेखा परीक्षा समिति में यथा संशोधन की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।
- सदस्य सचिव द्वारा "विभागीय लेखा परीक्षा उपसमिति" की बैठक की तिथि एवं समय हेतु विभागाध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत सदस्य सचिव द्वारा ऑनलाईन मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा Compliance Module के अन्तर्गत बैठक के दिनांक एवं समय की प्रविष्टि की जाएगी।
- समिति के सदस्यों को सिस्टम जनरेटेड मैसेज द्वारा उनके रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 एवं एस0एम0एस0 पर स्वतः ही बैठक की सूचना प्रेषित हो जाएगी।
- सदस्य सचिव को ऑडिट संस्था द्वारा दिए जा रहे उत्तर एवं ऑडिट संस्था द्वारा अपलोड अभिलेखों का पूर्णतः एक्सेस रहेगा।
- ऑडिट संस्था द्वारा अंतिम लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त होने के 01 माह के उपरांत भी ऑडिट संस्था द्वारा उत्तर न दिए जाने की स्थिति में सदस्य सचिव के डैशबोर्ड पर संबधित रिपोर्ट पर अनुपालन आख्या प्राप्त न होने की सूचना फ्लैश होगी।
- सदस्य सचिव द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त ऑडिट आपत्तियों के परिपालन आख्या क्रमिक रूप से समिति को प्रस्तुत की जाएगी, और अधिकतम 30 कार्यदिवसों के भीतर विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति के कार्यवृत्त सहित अनुपालन आख्या अगले स्तर को अग्रसारित की जायेगी।
- ऑडिट परिपालन आख्या में ऑडिट प्रस्तर पर दिए गए उत्तर अपूर्ण या नियमों के अनुरूप न होने के फलस्वरूप सम्बन्धित आपत्ति ऑडिट संस्था को उसे पुनः प्रत्यावर्तित किए जाने का सिस्टम में विकल्प होगा।
- सदस्य सचिव द्वारा आपत्ति के उत्तर में संशोधन के लिए परिपालन आख्या/सम्बन्धित ऑडिट प्रस्तर, ऑडिट संस्था को प्रत्यावर्तित की जा सकती है।
- सदस्य सचिव द्वारा यह विशेष ध्यान रखा जाए कि सम्बन्धित ऑडिट रिपोर्ट की परिपालन आख्या में दृष्टिगत कमियों या त्रुटियों के सम्बन्ध में ऑडिट संस्थान को एक ही बार में ही अवगत कराया जाए।
- अनुपालन आख्या प्रत्यावर्तित होने की स्थिति में ऑडिट संस्था को 07 कार्य दिवसों में पुनः अनुपालन आख्या सदस्य सचिव

I/70913/2022

को प्रेषित की जानी होगी।

घ. विभागीय उप लेखा परीक्षा उप समिति की बैठक

- यह बैठक वर्चुअल रूप से भी आयोजित की जा सकती है, जिसका निर्णय संबंधित विभागाध्यक्ष के स्तर से किया जाएगा।
- उप समिति की बैठक में Compliance Module अन्तर्गत आपत्ति निस्तारित किए जाने के लिए निम्नवत संस्तुतियाँ के विकल्प दिए गए हैं–
- आपत्ति निस्तारित किये जाने की संस्तुति (**Recommendation to drop Audit Para/observation**) – ऑडिट कमेटी द्वारा आपत्ति पर उचित कार्यवाही या उचित साक्ष्य प्राप्त होने पर निक्षेपित या निस्तारित किए जाने की संस्तुति कर ऑडिट निदेशालय, प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को अपनी संस्तुति अग्रसारित की जाएगी।
- आपत्ति ऑडिट संस्था को पुनः प्रेषित किया जाना (**Audit Para Reverted back to Auditee**) – यदि ऑडिट कमेटी को आपत्ति पर प्राप्त साक्ष्य या अभिलेख, आपत्ति निस्तारण के लिए अपूर्ण हैं, तो समिति द्वारा आपत्ति निस्तारण की संस्तुति नहीं की जाएगी एवं सम्बन्धित लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्बन्धित आडिट संस्था को प्रत्यावर्तित किया जाएगा।
- ऑडिट आपत्ति विभागीय लेखा परीक्षा समिति को निर्णयार्थ अग्रसारित करना ; (**Audit Para forwarded to Audit Committee for decision**) – ऑडिट कमेटी के अनुसार आपत्ति, गबन एवं दुर्विनियोग या भारी वित्तीय क्षति, राजकीय धन या राजकीय राजस्व की क्षति के प्रकरण, आपत्तियाँ या सुझाव जो कि नीतिगत हैं, या जिसमें निर्णय प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जाएगा, से सम्बन्धित आपत्तियां शासन स्तर पर गठित ''विभागीय लेखा परीक्षा समिति'' के निर्णय हेतु अग्रसारित की जाएगीं।
- ऑडिट आपत्ति के कतिपय उप–बिन्दु निस्तारित एवं कतिपय उप–बिन्दु अनिस्तारित **(Sub Paras in Audit Para Disposed off and some sub &points not disposed off)-** ऑडिट आपत्तियाँ जिसमें कार्यवाही प्रस्तावित या गतिमान है, उसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा रिपोर्टों में एक ही लेखा परीक्षा प्रस्तर के अन्तर्गत विभिन्न बिन्दु समाविष्ट होते हैं, आडिट संस्थान द्वारा इस प्रकार के प्रस्तरों में यदि लेखा परीक्षा प्रस्तर के कतिपय उप बिन्दुओं के निस्तारण के लिए संतोषप्रद अनुपालन आख्या प्रेषित किए जाने के स्थिति में, समिति द्वारा साक्ष्यों की समीक्षा उपरांत उक्त उप बिन्दुओं के निस्तारण की संस्तुति की जा सकती है।

ङ. लेखा परीक्षा समिति हेतु महत्वपूर्ण बिन्दु–

- इसके अतिरिक्त यदि वसूली सम्बन्धी लेखा परीक्षा आपत्तियां की जाती हैं, तो आडिट संस्था द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति स्वीकार करते हुए, संबन्धित व्यक्ति से माहवार वसूली किए जाने, या एक निर्धारित समय सीमा में जमा किए जाने के आदेश निर्गत किए जाने, की स्थिति में सम्बन्धित आपत्ति का निस्तारण वसूली पूर्ण होने के उपरांत ही किया जा सकता है।

च. कमेटी की बैठक उपरांत की जाने वाली कार्यवाही की प्रक्रिया–

- उत्तराखण्ड ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली में लेखा परीक्षा समिति की बैठक की कार्यवाही का हस्ताक्षरित कार्यवृत्त विभागाध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत सदस्य सचिव द्वारा PDF फाईल के रूप में अपलोड किया जाएगा अथवा इसे सिस्टम से भी जनरेट किया जा सकेगा। यह व्यवस्था अग्रेत्तर 01 वर्ष तक प्रभावी रहेगी। तदोपरांत कार्यवृत्त भी शत–प्रतिशत सिस्टम से ही जनरेट किया जाएगा।
- सदस्य सचिव द्वारा ''विभागीय उप लेखा परीक्षा समिति'' की बैठक आहूत होने के एक सप्ताह के अंतर्गत ऑडिट कमेटी के

Generated from eOffice by GANESH CHANDRA BALONI, SO-GCB-FAC, SECTION OFFICER, Finance Department on 02/12/2022 05:28 PM

I/70913/2022

निर्णय, ऑडिट आपत्तियों की परिपालन आख्या पर समिति की संस्तुति एवं कार्यवृत्त, वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक के माध्यम से विभागाध्यक्ष के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

- ऑडिट कमेटी के निर्णय, ऑडिट आपत्तियों की परिपालन आख्या पर समिति की संस्तुति एवं कार्यवृत्त विभागाध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत सभी हितधारकों को प्रेषित किया जाएगा।
- सबंधित प्रक्रिया अधिकतम 21 कार्य दिवसों में पूर्ण किया जाएगा।

4. <u>प्रशासकीय विभाग के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही</u> –

- प्रशासकीय विभाग के स्तर पर उपलब्ध Compliance module विभागाध्यक्ष के Compliance module के समरुप है।
- प्रशासकीय विभाग के स्तर पर कार्यालय ज्ञाप संख्या– 159/xxvii(26)2016, दिनांकः 07 अक्टूबर, 2016 अनुरूप ''विभागीय लेखा परीक्षा समिति'' का गठन कर ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।
- ''विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति'' के सदस्य सचिव प्रशासकीय विभाग स्तर पर गठित समिति के सदस्य सचिव नामित होंगे अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को भी सदस्य सचिव नामित किया जा सकता है।
- विभाग के गंभीर प्रकृति के आंतरिक लेखापरीक्षा प्रस्तर, प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वयं संज्ञान लिए गए ऑडिट प्रस्तर इत्यादि पर विभागीय लेखा परीक्षा समिति की बैठक आहूत की जाएगी।
- बैठक उपरांत निर्णय एवं कार्यवृत्त इत्यादि के संबंध में कार्यवाही लेखा परीक्षा समिति के सदस्य सचिव द्वारा उपरोक्त विभागीय लेखा परीक्षा उप समिति के समान ही की जायेगी। कार्यवृत्त पर ''विभागीय लेखा परीक्षा समिति'' के अध्यक्ष (विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव) से नियमानुरूप अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

5. <u>डैशबोर्ड एवं एम0 आई0 एस0 (Dashboard and MIS)</u>

प्रशासकीय विभाग के लिए ऑडिट संबंधित सूचनाओं हेतु डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है, जिसके द्वारा प्रशासकीय विभाग द्वारा विभाग अन्तर्गत सम्पादित की जा रही लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षा के समय दृष्टिगत कमियों के न्यूनीकरण के लिए प्रभावी कदम लिए जा सकते हैं।

- **विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा की संकलित सूचना (वर्षवार एवं ऑडिट संस्थानवार)**
- विभाग में वर्षवार लेखापरीक्षा की सूचना
- विगत वर्षों में विभाग के अंतर्गत आहरण वितरण अधिकारियों/कार्यालयध्यक्षों/यूनिट जिनकी लेखा परीक्षा समय–समय पर संपादित की गयी है,
- संबधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति
- लेखापरीक्षा प्रस्तर, जोकि अनिस्तारित हैं, की कार्यालयवार सूची,
- ऑडिट आपत्तियां, जो कि गबन दुर्विनियोग, दुरभिसंधि, उपेक्षा एवं असावधानी से संबधित हैं,
- विभाग की वार्षिक संकलित लेखा परीक्षा रिपोर्ट (वर्षवार) (Integrated Annual Audit report of Department)
- ऑडिट प्रस्तरों की प्रकृति के अनुसार Dashboard यथा अधिप्राप्ति संबंधित प्रस्तर, योजनाओं के निष्पादन में इंगित कमियों के कारण, अधिष्ठान से संबधित आपत्तियाँ (संख्या एवं इसके अंतर्गत सन्निहित धनराशि) इत्यादि

- <u>विभाग की गतिमान वर्ष में लेखा परीक्षा की प्रास्थिति</u>
- विभाग के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा कार्ययोजना में चयनित ऑडिट संस्थाओं की सूची
- वर्ष में किए गए ऑडिट, संबंधित संस्थाओं की ऑडिट रिपोर्ट

Generated from eOffice by GANESH CHANDRA BALONI, SO-GCB-FAC, SECTION OFFICER, Finance Department on 02/12/2022 05:28 PM

I/70913/2022

- विभाग में ऑडिट संस्थायें, जिसमें वर्तमान में ऑडिट गतिमान है।
- वर्ष में बकाया लेखे, जिनकी लेखा परीक्षा संपादित किया जाना शेष है।
- ऑडिटी संस्था एवं यूनिट जिनके द्वारा लेखा परीक्षा नहीं कराई गयी है एवं इसके कारण।

6. लेखा परीक्षा आपत्ति नियंत्रण पंजिका (Audit Objections Control register)

- ''उत्तराखण्ड ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली'' लेखा परीक्षा आपत्ति नियंत्रण पंजिका (Audit objection Control register) को स्वचालित रूप से अनिस्तारित, आंशिक अनिस्तारित, निस्तारित आपत्तियों की वर्षवार संख्या एवं इसमें उल्लेखित धनराशि को अपडेट करेगा।
- प्रशासकीय विभाग के स्तर पर गठित विभागीय लेखा समिति का कार्यवृत्त Compliance module पर संबंधित सदस्य सचिव द्वारा अपलोड किया जाएगा एवं ऑनलाईन ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम से यह अनुपालन आख्या वित्त विभाग को ऑनलाईन माध्यम से अग्रसारित की जाएगी।
- उत्तराखण्ड ऑनलाईन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली से आपत्ति निस्तारण की सम्पूर्ण कार्यवाही किए जाने के फलस्वरूप लेखा परीक्षा आपत्ति नियंत्रण पंजिका (Audit Objections Control register) स्वचालित रूप से रियल टाइम बेसिस पर अपडेट स्वतः हो जाएगा।

7. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन/निदेशालय लेखा परीक्षा के स्तर पर की जानी वाली कार्यवाही

- विभागीय लेखा परीक्षा समिति/उप लेखा परीक्षा समिति की संस्तुतियों एवं अनुपालन आख्या प्राप्त होने के उपरांत उत्तराखंड आंतरिक लेखा परीक्षा नियम संग्रह में दिए गए प्राविधानों के अनुसार आपत्ति निस्तारण के लिए गठित कमेटी (शासन स्तर/निदेशक लेखा परीक्षा के स्तर पर) द्वारा समीक्षा की जाएगी।
- तदोपरांत सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन/निदेशक लेखा परीक्षा के अनुमोदन उपरांत संबधित विभाग को निस्तारित आपत्तियाँ एवं अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण/सूचना ऑनलाईन ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम से ऑटो जनरेटेड पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाएगा।
- सम्बन्धित पत्र में निस्तारित प्रस्तरों का प्रस्तर संख्या, प्रस्तर निस्तारण के लिए विभाग द्वारा दिये गये उत्तर में अभिलेख नियमानुरूप या पूर्ण न होने की स्थिति में अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण, आडिट आपत्तियां जिनका विभाग द्वारा आतिथि तक उत्तर अप्राप्त है, का उल्लेख किया जाएगा।

8. प्रशिक्षण–

- उत्तराखण्ड ऑनलाइन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली (UAOMS) अन्तर्गत Compliance module का उपरोक्तानुरूप सरल एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने हेतु समस्त संबंधित विभागों हेतु सतत् प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- जब भी किसी विभाग/संस्था की लेखा परीक्षा प्रारम्भ की जाए, सर्वप्रथम उस विभाग/संस्था को हाफ मैमो मार्जिन के सापेक्ष उत्तर एवं अभिलेख ऑनलाईन प्रस्तुत किए जाने की प्रक्रिया तथा ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के उपरांत उसकी अनुपालन आख्या किस प्रकार Compliance module से प्रेषित की जाएगी, इसका प्रशिक्षण संबंधित सम्प्रेक्षा दल द्वारा दिया जाए।
- विभागीय पोर्टल www-eaudit-uk-gov-in एवं वेबसाईट www-uttarakhandaudit-gov-in पर UOAMS अन्तर्गत Compliance module सहित सभी modules का वीडियो एवं

Generated from eOffice by GANESH CHANDRA BALONI, SO-GCB-FAC, SECTION OFFICER, Finance Department on 02/12/2022 05:28 PM

I/70913/2022

यूजर मैनुअल अभिरक्षित किया जाए।

उत्तराखण्ड ऑनलाइन लेखा परीक्षा प्रबन्धन प्रणाली में ऑडिट एवं Compliance module को समय–समय पर नवीन तकनीकों के अनुसार अद्यतन किया जाए, जो कि एक स्वचालित प्रक्रिया रहेगी।

(डा0 अहमद इकबाल)
अपर सचिव, वित्त

Generated from eOffice by GANESH CHANDRA BALONI, SO-GCB-FAC, SECTION OFFICER, Finance Department on 02/12/2022 05:28 PM